न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, कठूमर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : उदय सिंह अलोरिया, *(आर.जे.एस.)*
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 34 / 14 / 2022

सी.आई.एस. संख्या : 10 / 2022

1. बाल मुकुन्द पुत्र लक्ष्मणराम, उम्र 50 साल,
निवासी रोनीजा थान, तहसील कठूमर, जिला अलवर। ....वादी

<u>बनाम</u>

1. पूरनमल पुत्र जुगलकिशोर,
2. यादव चंद पुत्र जुगलकिशोर,
3. श्रीमती भगवन्ती बेवा जुगलकिशोर,
4. नीसू पुत्र देशराज, उम्र 10 साल, नाबालिग सरपरस्त माता सीमा देवी बेवा देशराज
5. श्रीमती सीमा बेवा देशराज,
6. रमेशचंद पुत्र लक्ष्मणराम,

समस्त निवासियान रोनीजा नाथ, तहसील कठूमर, जिला अलवर।

.........प्रतिवादीगण

<u>''दावा बाबत् तकसीम जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा ''</u>

उपस्थित :–
1. श्री रामजीलाल शर्मा व श्री मानसिंह चौधरी, विद्वान अधिवक्तागण, वादी की ओर से।
2. श्री राधावल्लभ शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।
3. श्री घनश्याम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **दिनांक 31.07.2025**

1– वादी बालमुकुंद की ओर हस्तगत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 नीसू नाबालिग है, जो अपनी माता श्रीमती सीमा की सरपरस्ती में रहा रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी पक्ष नाबालिग व

मंदबुद्धि अथवा पागल नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक कब्जे एवं स्वामित्व के बुजुर्गानी विरासत से प्राप्त दो मंजिला रिहायशी मकान व उसके आगे खाली जगह व नोहरा आराजी खसरा नम्बर 1188 गैर मुमकिन आबादी ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। जिन जायदादों को मौके के अनुसार नक्शा मौका बनाया जाकर दावा के साथ पेश किया जा रहा है। मौका नक्शा में **जायदाद संख्या–1** मकान दो मंजिला व सामने वाली खाली जगह व बैठक बरंग सुर्ख बरहफ ए,बी,सी,डी, **जायदाद संख्या–2** नोहरा बरंग सुर्ख ई,एफ,जी,एच से दावा में दर्शित की गयी है, जिन्हें दावा हाजा में विवादित जायदादों के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित जायदादों की नाप निम्न प्रकार है :– **नपत जायदाद संख्या 1** उत्तर से दक्षिण दोनों 85 फुट, पूर्व से पश्चिम दोनों सिरे 30 फुट, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में बाबूलाल मीना का खेत, पूर्व में प्रभूदयाल का मकान, पश्चिम में जुगलकिशोर का नोहरा व **जायदाद संख्या–2** नोहरे की नाप निम्न प्रकार हैः– उत्तर से दक्षिण सिरा पूर्व 57 फुट, उत्तर से दक्षिण सिरा पश्चिम 56 फुट 6 इंच, पूर्व से पश्चिम सिरा उत्तर 26 फुट 10 इंच व पूर्व से पश्चिम सिरा दक्षिण 43 फुट 3 इंच, जिस जायदाद की हदूद अर्बा निम्न प्रकार है :– उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मकान बाबूलाल मीना, पूर्व में जुगल किशोर की जायदाद व पश्चिम में मकान प्रभूदयाल का।

2– वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं, जिनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

लक्ष्मणराम
|

जुगलकिशोर **(फौत)** | बालमुकुंद | रमेशचंद्र | राजबाई | संतोष | सरूपी | मंगनीबाई
|

पूरनमल | यादवचंद | देशराज **(फौत)** | भगवन्ती
| |

नीसू | सीमा

उपरोक्त सजरानुसार स्पष्ट है कि लक्ष्मणराम वादी व प्रतिवादी संख्या–6 का पिता व प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 2 का बाबा व प्रतिवादी संख्या–3 का ससुर था। लक्ष्मणराम के एक पुत्र जुगलकिशोर था जो फौत हो गया। जिसके वारिस प्रतिवादी पूरनमल, यादवचंद, देशराज व बेवा भगवंती है। देशराज भी फौत हो गया, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या–4 व 5 है। उक्त विवादित जायदादें वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग श्री लक्ष्मणराम को भी बुजुर्गों से प्राप्त पैतृक जायदादे हैं। लक्ष्मणराम के चार पुत्रियां थी, जिनकी शादी लक्ष्मणराम में अपने जीवनकाल में ही कर दी थी। जिनका विवादित जायदादों से किसी तरह का संबंध व सरोकार नहीं है। जायदाद संख्या–1 में ग्राउण्ड फ्लोर पर 30 गुणा 26 फुट में 5 कमरे तिबारा व जीना बना हुआ है व खाली चौक है तथा 30 गुणा 19 फुट खाली जगह है, जिसकी चार दीवारी हो रही है तथा गेट लगा हुआ है तथा 30 गुणा 12 फुट खाली जगह है तथा 28 गुणा 24 फुट बैठक बनी हुई है। बरामदा व चबूतरा बने हुए है। तरफ पूर्व के आवागमन के लिये 6 फुट का रास्ता कायम है जो आम रास्ता में मिलता है। इस जायदाद का निकास तरफ उत्तर को है। प्रथम मंजिल पर चार कमरे बने हुए हैं व एक हॉल बना हुआ है। जायदाद संख्या–2 नोहरा है। आज से करीब 25 साल पहले वादी व प्रतिवादी रमेशचंद व जुगलकिशोर एवं वादी व प्रतिवादीगण की बहिनों ने स्वेच्छापूर्वक व आपसी सहमति से अपने हक व हिस्सा व सुविधा के अनुसार दोनों बुजुर्गानी पैतृक जायदादों का घरेलू बंटवारा कर लिया था। चारों बहिनों ने अपना हिस्सा तीनों भाईयों को सहमति से दे दिया था।

3– इस प्रकार विवादित जायदादों पर चारों बहिनों का हिस्सा समाप्त होकर तीनों भाईयों के हक में निहित हो गया तथा तीनों भाईयों का जायदादों में 1/3 – 1/3 हिस्सा हो गया। जिस घरेलू बंटवारें में वादी के हिस्से में बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद संख्या–1 रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर बने कमरा संख्या–3, 4 व प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा संख्या–8 एवं इसके सामने वाली जायदाद का मध्य हिस्सा तथा जायदाद संख्या–2 ई,एफ,जी,एच जायदाद नोहरे का मध्य का हिस्सा आया। प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 5 के हक व हिस्से में घरेलू बंटवारें में जायदाद संख्या–1 में रिहायशी मकान का ग्राउण्ड फ्लोर पर कमरा संख्या–1 व 2, प्रथम मंजिल पर कमरा नम्बर 7 तथा सामने की जायदाद में तरफ पश्चिम वाला हिस्सा व जायदाद

संख्या–2 नोहरे में तरफ पूर्व वाला हिस्सा कब्जे में आया। जिसमें इन्होंने अपनी लागत से जायदाद संख्या–1 में एक लैट–बाथ व जायदाद संख्या–2 में टीनशेड डाली। प्रतिवादी संख्या–6 के हक व हिस्से तथा कब्जे में बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर कमरा नम्बर 5 एवं प्रथम मंजिल पर कमरा नम्बर 6 व 9 व सामने वाली खाली जगह का पूर्वी हिस्सा तथा जायदाद संख्या–2 में पश्चिमी हिस्सा हक व कब्जे में आया। जिसमें प्रतिवादी संख्या–6 ने अपनी लागत से जायदाद संख्या–1 में पाटौड डाली है तथा पानी की टंकी बनाई है तथा जायदाद संख्या–2 में एक बाथरूम का निर्माण करवाया है तथा इसके अलावा विवादित जायदाद संख्या–1 ए,बी,सी,डी रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर तिबारा, जीना तथा प्रथम मंजिल में हॉल वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती रखी गयी, जिस जायदाद का वादी व प्रतिवादीगण शामलात में उपयोग, उपभोग कर रहे हैं। जायदाद संख्या–2 नोहरे की पुख्ता चार दीवारी हो रही है तथा फाटक लगा हुआ है। घरेलू बंटवारें के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण विगत 25 वर्षों से अपने–अपने हक व हिस्से व कब्जे में आई जायदाद का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं। घरेलू बंटवारें बाबत् आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की जायदाद पर व प्रतिवादीगण का वादी के हिस्से की जायदाद से किसी प्रकार का वास्ता नहीं रहा है। लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गयी है जो बेईमानी से वादी के हक व हिस्से व घरेलू बंटवारें में मिली जायदाद का शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग में बाधा कारित कर रहे हैं। वादी के हिस्से में घरेलू बंटवारें से मिली जायदाद से वादी को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण 25 वर्ष पूर्व हुए वादी व प्रतिवादीगण के सहमति से घरेलू बंटवारें को मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से वादी विवादित जायदाद में अपने हक व हिस्से तथा कब्जे में आई जायदाद का अलग से तकासमा करना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण ने विवादित जायदाद का मुताबिक घरेलू बंटवारा तकासमा करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया। अतः वादी विवादित जायदाद 1/3 हिस्से के मुताबिक घरेलू बंटवारें में मिली जायदाद का अलग से तकासमा करवाने का अधिकारी है।

4– प्रतिवादीगण ने विवादित जायदाद का मुताबिक घरेलू बंटवारा कराने से दिनांक 10.07.2022 को इंकार करने के साथ–साथ वादी को धमकी दी कि वे विवादित जायदाद का मुताबिक घरेलू बंटवारा कानूनी तकास्मा नहीं करवायेंगे तथा उसे विवादित जायदादों के उसके हक व हिस्से में आई जायदादों का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग नहीं करने देंगे। विवादित जायदादों में तोड़–फोड़ करेंगे तथा तकारामा करवाये बिना ही मनचाहे स्थान पर मनचाहे अनुसार एक निश्चित भू–भाग पर नया कच्चा–पक्का निर्माण करवाएंगे। वादी को घरेलू बंटवारें में मिली जायदाद से बेदखल करेंगे। प्रतिवादीगण आपस में वादी के खिलाफ मिले हुए हैं। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने ईरादों में कामयाब हो गये तो वादी को काफी नुकसान व क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं होगी। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को ता–फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे पेश कर्दा नक्शा वादी जायदाद संख्या–1 रिहायशी मकान दो मंजिला बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद संख्या–2 नोहरा बरंग सुर्ख ई,एफ,जी,एच वाके ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर के 1/3 हिस्से के मुताबिक बहामी बंटवारें में मिली बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद में ग्राउण्ड फ्लोर पर बने कमरे संख्या–3 व 4 व प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा संख्या–8 एवं इसके सामने वाली जायदाद का मध्य हिस्सा तथा जायदाद संख्या–2 ई,एफ,जी,एच जायदाद का मध्य हिस्सा में वादी के उपयोग, उपभोग में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। वादी को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें तथा वादी को घरेलू बंटवारें में मिली जायदाद में कोई कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें। तोड़–फोड़ नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

5– प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया कि दावे का पैरा संख्या–1 लगायत 4 सही है। विवादित जायदादें पैतृक व ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित जायदादों की नाप व हदूद अर्बा सही दर्ज की गयी है। वादी व प्रतिवादीगण के सजरा बाबत् कथन सही है तथा लक्ष्मणराम की चार पुत्रियां थी जो शादी के बाद अपनी–अपनी ससुरालों में रह रही है। लक्ष्मणराम का पुत्र जुगलकिशोर फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 जुगलकिशोर के पुत्र हैं। देशराज फौत हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या–4

व 5 है। विवादित जायदाद में प्रतिवादी संख्या–1 और 4 व 5 ने अपने 2/9 हिस्से की जायदाद ना लेकर प्रतिवादी संख्या–2 को दे दी और इस जायदाद के बदले प्रतिवादी संख्या–2 ने अन्य जायदाद खरीद कर प्रतिवादी संख्या–4 व 5 को दे दी। इस प्रकार विवादित जायदाद के 1/3 हिस्से की जायदाद प्रतिवादी संख्या–2 के हक व हिस्से व कब्जे में आई हुई जायदाद है, जिस जायदाद से प्रतिवादी संख्या–1 व 4, 5 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादित जायदाद में निर्मित कमरा, बरामदा, बैठक, चौक, जीना आदि के बाबत् कथन सही किये गये हैं। लक्ष्मणराम की चारों पुत्रियों ने विवादित जायदाद में अपना हिस्सा वादी, प्रतिवादीगण को छोड़ दिया जो अब अपनी–अपनी ससुरालों में रह रही है। बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद संख्या–1 व बरंग सुर्ख ई,एफ,जी,एच जायदाद संख्या–2 वादी, प्रतिवादीगण द्वारा आपसी घरेलू रूप से मौके पर तक्सीम की हुई है व मुताबिक घरेलू तकास्मा ग्राउण्ड फ्लोर के कमरा नम्बर 1 व 2 तन्हा प्रतिवादी संख्या–2 के हक, हिस्से व कब्जे में आये हुए हैं तथा 30 गुणा 19, 30 गुणा 12 जायदाद वादी, प्रतिवादी संख्या–2 व प्रतिवादी संख्या–6 की शामलाती रहेगी लेकिन इसमें लैट्रिन, बाथरूम प्रतिवादी संख्या–2 के बने हुए हैं तथा पानी की टंकी वादी, प्रतिवादी संख्या–2 व 6 की शामलाती है। बैठक, बरामदा, चबूतरा वादी, प्रतिवादी संख्या–2 व 6 तीनों का शामलाती व हिस्सा बराबर है। जायदाद संख्या– 2 व 6 जायदाद संख्या–1 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 का है, जिसमें टीनशेड डली हुई है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित जायदाद के बंटवारें करवाने बाबत् कोई विवाद नहीं है तथा वादी, प्रतिवादी संख्या–2 व 6 घरेलू बंटवारें में आई हुई जायदादों पर मौके पर काबिज है। वादी ने प्रार्थनापत्र में तारीख 10.07.2022 गलत व मनघढंत आधार पर अंकित की है। वादी को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को महज तंग व परेशान करने की नियत से उक्त वाद पेश किया है। वादी को दावा हाजा लाने बाबत् कोई विनायदावी व विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। दावा वादी मियाद बाहर है। विवादित जायदाद शामलाती उपयोग एवं इस्तेमाल की है। अंत में दावा वादी खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6– प्रतिवादी संख्या–6 की ओर से दावे का इकबालिया जबाब पेश कर कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक कब्जे एवं स्वामित्व के बुजुर्गानी विरासत

से प्राप्त दो मंजिला रिहायशी मकान व उसके आगे खाली जगह व नोहरा आराजी खसरा नम्बर 1188 गैर मुमकिन आबादी ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है, जिन जायादादों का मौके के अनुसार सही मौका बनाया जाकर पेश किया गया है। वादी द्वारा दावे में विवादित जायदाद ए,बी,सी,डी एवं ई,एफ,जी,एच की सही नाप व हदूद अर्बा दर्ज की गयी है। वादी ने वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा सही पेश किया है। विवादित जायदाद वादी एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग लक्ष्मणराम की पैदा कर्दा जायदाद है जो लक्ष्मणराम के बुजुर्ग को प्राप्त होने के कारण पैतृक बुजुर्गानी जायदाद है। वादी ने मौके के अनुसार सही नपत व निर्माण को दर्शाया है। आज से करीब 25 वर्ष पहले वादी व प्रतिवादीगण रमेशचंद व जुगलकिशोर एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की बहिनों ने स्वेच्छापूर्वक व आपसी सहमति से अपने–अपने हक व हिस्से व सुविधा के अनुसार दोनों बुजुर्गानी पैतृक जायदादों का घरेलू बंटवारा कर लिया था। चारों बहिनों ने अपना हिस्सा तीनों भाईयों को सहमति से दे दिया था। इस प्रकार विवादित जायदाद चारों बहिनों का हिस्सा समाप्त होकर तीनों भाईयों के हक में निहित हो गया तथा तीनों भाईयों का जायदादों में 1/3 – 1/3 हिस्सा हो गया। वादी के हक व हिस्से में बरंग सुर्ख बहरफ ए,बी,सी,डी जायदाद संख्या–1 रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर बने कमरे संख्या–1, 4 व प्रथम मंजिल पर स्थित कमरा संख्या–8 एवं इसके सामने वाली जायदाद का मध्य हिस्सा तथा जायदाद संख्या–2 बहरफ ई,एफ,जी,एच एवं जायदाद नोहरे का मध्य हिस्सा आया। प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 5 के हिस्से में घरेलू बंटवारें में जायदाद संख्या–1 में रिहायशी मकान का ग्राउण्ड फ्लोर पर कमरा संख्या–1 व 2 प्रथम मंजिल पर कमरा नम्बर 7 तथा सामने की जायदाद में तरफ पश्चिम वाला हिस्सा व जायदाद संख्या–2 नोहरे में तरफ पूर्व वाला हिस्सा व कब्जे में आया। जिसमें इन्होंने अपनी लागत से जायदाद संख्या–1 में में एक लैट–बाथ व जायदाद संख्या–2 में टीनशेड डाली। प्रतिवादी संख्या–6 के हक व हिस्से तथा कब्जे में बरंग सुर्ख ए,बी,सी,डी जायदाद रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर कमरा नम्बर 5 एवं प्रथम मंजिल पर कमरा नम्बर 6 व 9 व सामने वाली खाली जगह का पूर्वी हिस्सा तथा जायदाद संख्या–2 में पश्चिमी हिस्सा हक व कब्जे में आया। जिसमें प्रतिवादी संख्या–6 ने अपनी लागत से जायदाद संख्या–1 में पाटौड डाली है तथा पानी की टंकी बनाई है तथा जायदाद संख्या–2 में एक बाथरूम का

निर्माण करवाया है तथा इसके अलावा विवादित जायदाद संख्या–1 ए,बी,सी,डी रिहायशी मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर तिबारा, जीना तथा प्रथम मंजिल में हॉल वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती रखी गयी, जिस जायदाद का वादी व प्रतिवादीगण शामलात में उपयोग, उपभोग कर रहे हैं। जायदाद संख्या–2 नोहरे की पुख्ता चार दीवारी हो रही है तथा फाटक लगा हुआ है। मुताबिक घरेलू बंटवारें के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक व हिस्से तथा कब्जे में आई जायदाद का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं। घरेलू बंटवारे बाबत् आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अगर मुताबिक घरेलू बंटवारें के अनुसार बंटवारा कर दिया जाए तो प्रतिवादीगण को किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी को ना तो किसी तरह की कोई धमकी दी और ना ही कानूनी तकाज़ामा मना किया। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक घरेलू बंटवारें के अपने–अपने हक व हिस्से में आई जायदादों को उपयोग, उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे हैं। वादी का दावा डिक्री किए जाने योग्य है। मुताबिक घरेलू बंटवारे के अनुसार विवादित जायदाद ए बी सी डी व ई एफ जी एच का बंटवारा कर दिया जाये तो प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।

7— उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाधकों की रचना की गई—

(1) *आया वादी विवादित जायदाद संख्या 1 व 2 ए,बी,सी,डी, ई,एफ,जी,एच वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर का मुताबिक घेरलू बंटवारा, विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बंटवारा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?*
———वादी

(2) *आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को घरेलू बंटवारे में मिली जायदाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करवाने का अधिकारी है?*
——वादी

(3) अनुतोष।

8— वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू. 1 बालमुकुंद, पीडब्ल्यू 2 इन्द्राज, पीडब्ल्यू 3 सुमरथलाल को परिक्षित करवाया गया तथा

प्रलेखीय साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श पी–1, जमाबंदी सम्वत् 2076–79, फोटो प्रति नक्शा जमाबंदी प्रदर्श–3 को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

9– वादी की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी0ड0–1 यादवचंद को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

10– बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि गांव मौजा रोनीजाथान तहसील कठूमर में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी और बुजुर्गानी पैतृक दो जायदादे स्थित हैं, जिसमें पहली जायदाद दो मंजिला रिहायशी मकान है तथा दूसरी जायदाद नौहरा है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है, जिनका उन्होंने मौके पर विभाजन करीब 25 साल पहले ही कर लिया है और सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है, परंतु अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने उक्त विभाजन को मानने से इंकार कर दिया है और वे वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा कर रहे हैं, इसलिए वादी की ओर से हस्तगत वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 ने इकाबलिया जवाब पेश कर दावे को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने भी विवादित जायदाद को पुश्तैनी होना स्वीकार कर उसमें 1/3 हिस्सा वादी का होना तथा जायदाद का मौके पर 25 साल पहले से बंटवारा होना स्वीकार किया है। वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से वादी को प्रमाणित किया है। अंत में वादी ने दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

11– प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि जायदाद संख्या 2 का कोई विवाद नहीं है। जायदाद संख्या 1 में निर्मित कमरें, जीना, नौहरा आदि शामलाती है और शामलाती जमीन खाली पड़ी है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है अन्य जायदाद का बंटवारा हो गया है। जायदाद के बंटवारे से कोई इन्कार नहीं है। वादी ने उक्त दावा गलत तथ्यों के

आधार पर पेश किया है। अंत में दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

12– वादी पक्ष की ओर से परीक्षित वादी / गवाह पी0ड–1 बालमुकंद ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अपनी साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया तथा दौराने साक्ष्य इस गवाह ने कथन किया कि ''हम तीन भाईयों में वह खुद, बड़ा भाई जुगल किशोर छोटा भाई रमेशचंद हैं। जुगलकिशोर गुजर चुका है। वारिस तीन लड़के पूरनमल, यादवचंद, देशराज भी फौत हो चुके हैं। उसके चार बहिने है– राजबाई, संतोष, स्वरूपी और मंगी। पूरनमल की बहन मीरा है। विवादित संपत्ति में उनकी बहिनों का कोई हिस्सा नहीं है। विवादित जायदाद पैत्रिक जायदाद है। इस जायदाद में जुगल किशोर के वारिसों का 1 / 3 हिस्सा है। विवादित जायदाद में पूरनमल, नीसू, सीमा के हिस्से की जायदाद पर यादवचंद काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर घरेलू बंटवारा कर रखा है।

13– जिरह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 गवाह ने कथन किया है कि विवादित जायदाद पैतृक है, इस जायदाद में जुगल किशोर के वारिसों का 1 / 3 हिस्सा है। यह बात सही है कि विवादित जायदाद पर पूरनमल, नीसू व सीमा के हिस्से पर यादवचंद काबिज है। हम वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर घरेलू बंटवारा कर रखा है।

14– वादी पक्ष की ओर से गवाह इन्द्राज को पी0ड0–2 व सुमरथलाल को पी.ड.–3 के रूप में परीक्षित करवाया गया। उक्त दोनों ही गवाहान ने वादी के कथनों की ताईद करते हुए अपनी–अपनी साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, तथा दौराने साक्ष्य गवाहान ने समान रूप से कथन करते हुए साक्ष्य दी है कि वे पक्षकारान व विवादित जायदादों को जानते–पहचानते हैं। वादी बालमुकुंद व प्रतिवादी पूरण वगैरह के पैत्रिक कब्जे एवं स्वामित्व की बुर्जुगानी विरासत से प्राप्त दो मंजिला मकान व उसके आगे खाली जगह नोहरा ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित जायदाद के बाबत् वादी की ओर से जो नपत अपने दावे में पेश की गयी है, वह पूर्णतया सही हैं। करीब 6 साल पहले सभी भाईयों व बहिनों ने स्वेच्छा पूर्वक व आपसी सहमति से अपने–अपने हक, हिस्सा व सुविधा के अनुसार दोनों बुजुर्गानी पैत्रिक जायदादों का बंटवारा कर लिया था और चारों बहनों ने अपना हिस्सा अपने भाईयों को सहमति से दे दिया था। इस प्रकार विवादित जायदादों से चारों बहिनों का हिस्सा समाप्त होकर

तीनों भाईयों के हक में निहित हो गया है तथा तीनों भाईयों का जायदादों में 1/3 – 1/3 हिस्सा हो गया है। वे उक्त जायदाद पर मुताबिक बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण को विगत 26 सालों से अपने–अपने हक व हिस्सा में आई जायदाद का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते देखते चले आ रहे हैं। अब तक बंटवारे बाबत् इनके मध्य कोई विवाद नहीं था, परंतु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी है, जो वादी बालमुकुंद के हक व हिस्से के बंटवारे में आई जायदाद के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है तथा वादी के हक हिस्सा की जायदाद से वादी को जबरन बेदखल करना चाहते है।

15– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से की गयी जिरह में गवाह इन्द्राज ने कथन किया है कि वह पक्षकारान व विवादित जायदाद को जानता है। लक्ष्मणराम के तीन संतान है। जुगलकिशोर, बालमुकुंद व रमेश। लड़कियां चार है, राजबाई, संतोष, सरूपी व मंगनीबाई। लक्ष्मणराम की जायदाद पर उसकी चारों लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं है। बंटवारा उसके सामने नहीं हुआ था, बंटवारा 26 साल पहले हुआ था। पक्षकाराण के मध्य तीन–तीन कमरे आ रहे हैं। इसी प्रकार गवाह सुमरथलाल ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि लक्ष्मणराम की चार लड़कियां हैं, ये ससुराल में रहती है, यह बात सही है कि इन चार लड़कियों का लक्ष्मणराम की जायदाद में कोई कब्जा नहीं है।

16– गवाह डी.ड.–1 यादवचंद ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि लक्ष्मणराम की चार पुत्रियां थी, जो शादी के बाद से अपने–अपने ससुराल में रह रही है। लक्ष्मणराम का पुत्र जुगल किशोर फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जुगलकिशोर के पुत्र है। देशराज फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। विवादित जायदाद में प्रतिवादी संख्या 1 और 4–5 में अपने 2/9 हिस्सा की जायदाद ना लेकर प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी है और इस जायदाद के बदले प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य जायदाद खरीद कर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को दे दी है। इस प्रकार विवादित जायदाद के 1/3 हिस्से की जायदाद प्रतिवादी संख्या 2 के हक व हिस्से व कब्जे में आई हुई जायदाद है, जिस जायदाद से प्रतिवादी संख्या 1 व 4–5 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादित जायदाद में कमरा बरामदा बैठक चौक जीना आदि बने हुए है। लक्ष्मणराम की चारों

पुत्रियों ने विवादित जायदाद में अपना–अपना हिस्सा वादी प्रतिवादीगण को छोड़ दिया है, वे अब अपने ससुराल में रह रही है। विवादित जायदाद संख्या 2 वादी, प्रतिवादीगण द्वारा आपसी घरेलू रूप से मौके पर तकसीम की हुई है। मुताबिक घरेलू तकासमा ग्राउंड फ्लोर के कमरा संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 के हक, हिस्सा व कब्जे में आए हुए है तथा 30 गुणा 10, 30 गुणा 12 जायदाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 6 की शामलाती रहेगी, लेकिन इसमें लैट्रींग बाथरूम प्रतिवादी संख्या 2 के बने हुए है तथा पानी की टंकी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की शामलाती है। बैठक बरामदा चबुतरा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 6 तीनों का शामलाती व हिस्सा बराबर है। जायदाद संख्या 2 के चपेटवा जायदाद संख्या 1 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है, जिसमें टीन डली हुई है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा घेरलू बंटवारे में आई हुई जायदादों पर मौके पर काबिज है।

17– उक्त गवाह ने दौरान जिरह वादी कथन किया है कि विवादित जायदाद लक्ष्मणराम की है, लक्ष्मणराम उसके दादा लगते है। लक्ष्मणराम के तीन लड़के और चार लड़कियां है। लड़को का नाम जुगलकिशोर, मुकुंद व रमेश तथा लड़कियां संतोष, राजबाई, मगनी व स्वरूपी है। विवादित जायदाद की लंबाई चौड़ाई उसे नहीं पता। यह हमारा पैतृक नोहरा है। इसकी लंबाई–चौड़ाई कितनी है, उसे नहीं पता। राजबाई, संतोष, स्वरूपी व मंगलबाई की शादी उनके बाबा लक्ष्मणराम के जीवनकाल में हो गयी थी। यह कहना सही है कि राजबाई, संतोष, स्वरूपी ने अपना 4/7 हिस्सा जुगल किशोर, बालमुकुंद और रमेशचंद को दे दिया था। बंटवारे के आधार पर ही जुगलकिशोर, बालमुकुंद और रमेशचंद अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। रमेशचंद अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। उपर चार कमरे और नीचे पांच कमरे बने हुए है। बालमुकुंद के हिस्से में गाउंड फ्लोर पर दो कमरे व प्रथम मंजिल पर एक कमरा, हवेली के सामने वाली जगह में वादी का मध्य हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में गाउंड फ्लोर में दो कमरे है उपर एक कमरा है। यह कमरा उत्तर दिशा में है। यह कहना गलत है कि हवेली के सामने खाली जगह में लैटबाथ और टीनशेट डाल रखी है। प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से में हवेली के नीचे एक कमरा और उपर दो कमरे आये थे। बंटवारा उनके पिता जी 25–30 साल पहले की करके चले

गये थे। नोहरे में उसने टीनशेट व पाटौल डाल रखी है। रमेशचंद ने लेटबाथ बना रखे है। मौके पर मुकुंद का हिस्सा खाली पड़ा है, जो मध्य में है। यह बात सही है कि विवादित जमीन को उन्होंने कानूनी रूप से नहीं बांट रखा है, लेकिन मौखिक रूप से बांट रखा है। विवादित जायदाद का बंटवारा मौखिक रूप से कर रखा है। यदि इसका कानूनी बंटवारा हो, तो उन्हें एतराज है, वे मानने को तैयार नहीं है। दिनांक 10.07. 2022 को हमने बालमुंकुद को घरेलू बंटवारा को मानने से मना भी की। यह बात सही है कि कृषि भूमि के बंटवारे के मुकदमे एसडीओ कोर्ट में चल रहे है। हम घरेलू बंटवारे के आधार पर ही हवेली व नौहरे पर काबिज है।

18— इस प्रकार उपरोक्त परीक्षित गवाहान की साक्ष्य के प्रकाश में हस्तगत वादपत्र के निस्तारण हेतु विवाधकों पर न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार हैः—

19— विवाधक संख्या 1 *''आया वादी विवादित जायदाद संख्या 1 व 2 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर का मुताबिक घेरलू बंटवारा, विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बंटवारा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?''*

20— उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी पैतृक संपत्ति की दो जायदाद जो ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है, के विभाजन बाबत् पेश किया गया है। वादी ने अपने दावे में अंकन किया है कि ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में उनकी जो पैतृक जायदाद है, उसमें पहली जायदाद दो मंजिला रिहायशी मकान है तथा दूसरी जायदाद नौहरा है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है। जिस पर वे दावा पेश करने से करीब 25 साल पहले से ही घरेलू आपसी विभाजन के अनुसार रह रहे हैं, परंतु अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उक्त बंटवारे को मानने से इन्कार कर रहे हैं, इसलिए उसके द्वारा यह दावा पेश किया गया है।

21— वादी द्वारा उक्त जायदाद को पैतृक व संयुक्त जायदाद होना बताया गया है। **प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने जवाब दावे में वादी के संपूर्ण दावे को हूबहू स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जवाब में उक्त दोनों विवादित जायदादो को पैतृक होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने**

जायदाद के हदूदहर्बा एवं नपत तथा सजरा खानदान को भी अपने जवाब में सही होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 का उक्त विवादित जायदाद में 1/3–1/3 हिस्सा होना भी स्वीकार किया है। उन्होंने अतिरिक्त कथन में केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जुगलकिशोर का पुत्र बताकर प्रवितादी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त जायदाद में अपना 2/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को देने का अंकन किया है। उन्होंने उक्त जायदाद में प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 का कोई हिस्सा सरोकार होना नहीं बताया है, परंतु यह तथ्य विवादित नहीं है। उनका अतिरिक्त कथन केवल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के आपसी बंटवारे से संबंधित है। उन्होंने वादी और प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3–1/3 तथा अन्य प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 कब्जा होने से इन्कार नहीं किया गया है।

22– इस प्रकार विवादित जायदाद संख्या 1 व 2 वादी एवं प्रतिवादीगण की बुजुर्गानी संयुक्त स्वामित्व की होना जिसमें वादी संख्या 1 व 6 का 1/3 – 1/3 हिस्सा होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/3 होना अभिवचनों की स्वीकृति से ही स्थापित है। ऐसे में उभय पक्षकारान के अभिवचनों एवं प्रतिवीदगण की स्वीकृति से यह स्पष्ट है कि ग्राम रोनीजाथान में स्थित **विवादित जायदाद संख्या –1** मकान दो मंजिला व सामने खाली जगह व बैठक **व जायदाद संख्या–2** नोहरा, **जायदाद संख्या 1** नपत उत्तर से दक्षिण दोनों 85 फुट, पूर्व से पश्चिम दोनों सिरे 30 फुट, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में बाबूलाल मीना का खेत, पूर्व में प्रभूदयाल का मकान, पश्चिम में जुगलकिशोर का नोहरा व **जायदाद संख्या–2 नपत** उत्तर से दक्षिण सिरा पूर्व 57 फुट, उत्तर से दक्षिण सिरा पश्चिम 56 फुट 6 इंच, पूर्व से पश्चिम सिरा उत्तर 26 फुट 10 इंच व पूर्व से पश्चिम सिरा दक्षिण 43 फुट 3 इंच, जायदाद की हदूद अर्बा उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मकान बाबूलाल मीना, पूर्व में जुगल किशोर की जायदाद व पश्चिम में प्रभूदयाल का मकान। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी जायदाद है, जो कि उन्हें उनके पूर्वज लक्ष्मणराम से विरासत में प्राप्त हुई है।

23– वादी ने दावे में यह अंकन किया है कि लक्ष्मणराम के चार लड़कियां राजबाई, संतोष, सरूपी, मंगनीबाई हैं, जिन्होंने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में समर्पित कर दिया है, जिसे प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब एवं साक्ष्य में स्वीकार

किया है। वादी ने अपने समर्थन में गवाह पी.ड.–1 बालमुकुंद, पी.ड.–2 इन्द्राज व पी. ड.–3 समर्थलाल के साक्ष्य के शपथ–पत्र पेश किए हैं, जिन्होंने अपने शपथ–पत्रों में उक्त दोनों जायदादों को संयुक्त जायदाद होना बताया है और उसमें उपरोक्तानुसार 1/3 हिस्सा वादी का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का व 1/3 हिस्सा प्रवितादी संख्या 1 लगायत 5 का होना बताया है। जिरह में ऐसी कोई स्वीकारोकृति सामने नहीं आई हैं, जिससे उक्त तथ्य का खंडन होता हो। प्रतिवादी संख्या 2 यादवचंद ने जो अपना शपथ–पत्र पेश किया है, उसमें उसने उक्त जायदाद को वादी और प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक जायदाद होना बताया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 4–5 ने अपने 2/9 हिस्सा को जायदाद ना लेकर प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी है और इस जायदाद के बदले प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य जायदाद खरीद कर प्रतिवादी संख्या 4–5 का दे दी है, इस प्रकार विवादित जायदाद के 1/3 हिस्से की जायदाद प्रतिवादी संख्या 2 के हक–हिस्सा व कब्जे में है। ऐसे में पक्षकारान के अभिवचनों एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि विवादित जायदाद वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की पैतृक जायदाद है, जिसमें वादी संख्या 1 व 6 का 1/3 – 1/3 हिस्सा होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/3 होना प्रमाणित है।

24– वादी ने अपने अभिवचनों में कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर जायदाद का 25 साल पूर्व से बंटवारा कर रखा है, सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उक्त बंटवारे को मानने से इंकार कर रहे हैं तथा उन्होंने दिनांक 10.07.2022 को धमकी भी दी है कि वे उक्त जमीन का बंटवारा नहीं करवाएंगे। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने अपने जवाब में इस तथ्य से इंकार किया है, परंतु वादी पी.ड.–1 बालमुकुंद व गवाह इन्द्राज पी.ड.–2 तथा गवाह सुर्मतलाल पी.ड.–3 ने अपने शपथ–पत्रों में बताया है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 घरेलू बंटवारे को मानने से इन्कार कर रहे हैं। डी.ड.–1 यादवचंद ने जिरह में स्वीकार किया है कि *''यह कहना सही है कि हम बंटवारे को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिनांक 10.07.2022 को हमने बालमुकुंद को घरेलू बंटवारे से मना भी की थी।''* इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के बंटवारे से इन्कार कर रह हैं। चूंकि विवादित जायदाद वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व की बुजुर्गानी जायदाद है, जिसका विधिनुसार बंटवारा करवाने का वादी अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार विवाधक संख्या 1 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः उक्त विवाधक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

25— **विवाधक संख्या 2** *''आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को घरेलू बंटवारे में मिली जायदाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करवाने का अधिकारी है?''*

26— उक्त विवाधक को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने अपने वाद—पत्र एवं साक्ष्य में इस बाबत् कथन किया है कि प्रतिवादीगण 25 साल पहले वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से हुए घरेलू बंटवारे को मानने को तैयार नहीं है तथा दिनांक 10.07.2022 को प्रतिवादी ने वादी को खुलेआम धमकी दी है कि वे विवादित जायदाद का मुताबिक घरेलू बंटवारा तकासना नहीं करायेंगे तथा वादी को उसके हिस्से में मिली जायदाद का शांतिपूर्वक उपयोग—उपभोग नहीं करने देंगे। विवादित भूखंड में तोड़फोड़ करेंगे तथा बिना तकासमा के मनचाहे स्थान पर नया व कच्चा—पक्का निर्माण करेंगे व वादी को बेदखल करेंगे। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने इस तथ्य से इन्कार किया है। पी.ड.—1 वादी बालमुकुंद ने अपने साक्ष्य के शपथ—पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आने से वे उसके हक हिस्से व कब्जे व घरेलू बंटवारे में आई जमीन के उपयोग—उपभोग में बाधा कर रहे है, तथा उसे जबरन बेकब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। गवाह पी.ड.—2 इन्द्राज व पी.ड.—3 सुमरतलाल ने समान रूप से अपने शपथ—पत्र में अंकित किया है कि बालमुकुंद को उसकी हक, हिस्से के जायदाद से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल करना चाहते है, वे पुराने बंटवारे को मानने के लिए तैयार नही है। प्रतिवादीगण बालमुकुंद के हिस्से की जायदाद के उपयोग—उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है तथा जबरन कब्जा कर उसे बेदखल करने की धमकी दे रहे है, इसलिए प्रतिवादीगण को पाबंद करवाया जावे। इस बिंदू पर उक्त गवाहान से प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी है। इसलिए उनकी इस बिंदू पर आई साक्ष्य अंखडित है।

27— प्रतिवादी गवाह डी.ड.—1 यादवचंद ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है *''कि विवादित जायदाद का उन्होंने मौखिक बंटवारा कर रखा है, कानूनी बंटवारा नहीं कर रखा है। यदि जायदाद का कानूनी बंटवारा हो तो उन्हें ऐतराज है। यह बात सही*

है कि बंटवारे को मानने के लिए वे तैयार नहीं है। दिनांक 10.07.2022 को हमने बालमुकुंद को घरेलू बंटवारा मानने से मना भी की थी।'' इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 घरेलू मौखिक बंटवारे से इन्कार कर रहे है एवं वादी के उपयोग—उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो विवादित पैतृक जायदाद के संबंध में हुए मौखिक बंटवारे को मानने हेतु तैयार नहीं है। इस प्रकार उक्त विवाधक भी वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, लिहाजा उक्त विवाधक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

अनुतोषः—

28— पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादी तनकी संख्या 1 व 2 को अपने हिस्से में साबित करने में सफल रहा है। इसलिए वादी विवादित जायदाद संख्या 1 व 2 के संबंध में विभाजन करवाने एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के हक—हिस्से में कोई विवाद झगड़ा—फिसाद ना करे, वादी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे के उपयोग—उपभोग में कोई दख्लअंदाजी कारित नहीं करे, वादी के हक—हिस्से में जबरन कब्जा नहीं करे ना ही किसी प्रकार तोड़फोड, कच्चा—पक्का निर्माण करें।

—:: आदेश ::—

29— परिणामतः वादी बालमुकुंद द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकसीम जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है—

1. वाद—पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित विवादित **जायदाद संख्या —1** मकान दो मंजिला व सामने खाली जगह व बैठक व **जायदाद संख्या—2** नोहरा, जायदाद संख्या 1 नपत उत्तर से दक्षिण दोनों 85 फुट, पूर्व से पश्चिम दोनों सिरे 30 फुट, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में बाबूलाल मीना का खेत, पूर्व में प्रभूदयाल का मकान, पश्चिम में जुगलकिशोर का नोहरा व जायदाद संख्या—2 नपत उत्तर से दक्षिण सिरा पूर्व 57 फुट, उत्तर से दक्षिण सिरा पश्चिम 56 फुट 6 इंच, पूर्व से पश्चिम सिरा उत्तर 26 फुट 10 इंच व पूर्व से पश्चिम सिरा दक्षिण 43 फुट 3 इंच, जायदाद की हदूद अर्बा

उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मकान बाबूलाल मीना, पूर्व में जुगल किशोर की जायदाद व पश्चिम में प्रभूदयाल का मकान में वादी बालमुकुंद व प्रतिवादी रमेशचंद का 1/3–1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है, वादी उक्त संपत्ति में अपने 1/3 हिस्से का विधिनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है।

2. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित जायदाद संख्या 1 व 2 में वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के हक–हिस्से में कोई विवाद झगड़ा–फिसाद ना करे, वादी के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे के उपयोग–उपभोग में कोई दख्लअंदाजी कारित नहीं करे, वादी के हक–हिस्से में जबरन कब्जा नहीं करे ना ही किसी प्रकार तोड़फोड, कच्चा–पक्का निर्माण करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदअनुरूप प्राथमिक डिक्री मुर्तिब की जावे।

(उदय सिंह अलोरिया)

30– निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उदय सिंह अलोरिया)